

01-04-24

पञ्चावली पेशा हुई/राजस्व मण्डल
अजमेर/बार संघ/चूल्हा कारण से
पञ्चावली दिनांक 25-04-24 को पेश हो।
पञ्चावली पेशा हुई/राजस्व मण्डल
अजमेर/बार संघ/चूल्हा कारण से
पञ्चावली दिनांक 25-04-24 को पेश हो।

25/4/24

08-07-24

पञ्चावली पेशा हुई अधिवक्ता वादी उप,
अधिवक्ता वादी प्रतिवादीगण की तलबी परिश्रम
शर्जि डाक करवाये। मिसल वास्ते इतजा
डिनांक 08-07-2024 को पेश हो।

08-08-24

पञ्चावली पेशा हुई/राजस्व मण्डल
अजमेर/बार संघ/चूल्हा कारण से
पञ्चावली दिनांक 08-08-24 को पेश हो।

02-08-24

पञ्चावली पेशा हुई अधिवक्ता वादी उपस्थित।
अधिवक्ता वादी प्रतिवादीगण की तलबी
परिश्रम शर्जि डाक करवाये। मिसल वास्ते इतजा
तलबी डिनांक 08-10-2024 को पेश हो।

08-10-24

पञ्चावली पेशा हुई अधिवक्ता वादी उपस्थित।
फैरीकार राज ने उपस्थित होकर अंकित किया
कि इस प्रकार के नाम परिवर्तन से कोर राजस्व
प्रभावित होने की सम्भावना नहीं है। अधिवक्ता
वादी ने विवेकन किया कि इतना नाम डुबल्लो
के केवल शर्जि लगाया जाके जिसे किसी प्रतिवादी
का कोई हित प्रभावित होने की सम्भावना
नहीं है अतः वहस सुनी जावे जिसे पर
अधिवक्ता वादी की वहस सुनी गयी।
व पञ्चावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का
ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया जमा बंधी
संख्या 2071-74 खसरा नम्बर 602/35
शरी मौरा कोरवाड ताल में वादी क
रमेश सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह एवं
के रमेश सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह दिसा 1/1

सुनाने
रामादिन
पञ्चादिन
नदी हो
वे पत्र
8/10/24
12/10/24



नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तारीख
में जारी हुए

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तारीख
में जारी हुए

राजपूर अमित व- जवाकि वादी के आधा
कॉर्ट के रमेश सिंह राठौड अमित व व ग्राम
पंचायत द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के अभाव
रमेश सिंह व रमेश सिंह राठौड है। उपरोक्त
विवेचन के आधार पर वादी का नाम राजस्व
रिकॉर्ड व अन्य दस्तावेजों में झल्ला-झल्ला
होने से सरकारी योजनाओं के लाभ लेने से
वंचित रहना व परेशानियां होती रहती हैं।
इस प्रकार के नाम दुबली से किसी प्रकार की
राजकीय लाभ होने की भी संभावना नहीं है।
उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी
का दावा स्वीकार किसे जाग योग्य

दावा वादी स्वीकार किया जाता
वादागत कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर
602/35 रोटी मौजा कोरवाड़ तालुके राजस्व
रिकॉर्ड में वादी का नाम रमेश सिंह
के स्थान पर रमेश सिंह राठौड किसे
जाने की घोषणा की जाती है। वादी
द्वारा किसी प्रकार के अन्य दूपाया जाग पर
किसी प्रकार वादी स्वयं जिम्मेदार होगा।
वादी पर किसी प्रकार का अपराधिक प्रभुत्व
पूर्व में दर्ज होने या सरकारी योजना की
स्थिति में पूर्व नाम ही मान्य होगा।
लक्ष्मीलता शर्मा उस्ताद राजस्व अधिकारी
में अमल परामर्श कर। पञ्जावली केसल
शुमात होका नम्बर से कर है।
जाल्दा पारखिल दफ्तर है। 4/11

सुमानदी
राजस्थान
प्रशासन
नई देह
वेपडा
हा।प।म
128-32

उपखण्ड अधिकारी
चरु